



इटावा पुलिस

प्रेस नोट साइबर थाना -दिनांक 16.04.2024



थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड यूपीआई के माध्यम से निकाले गये पीड़िता के 6,000/- रुपयों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए 6,000/- रुपये शतप्रतिशत वापस कराये गये ।

जनपद में साइबर फ्रॉड की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार वर्मा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम तथा अपर पुलिस अधीक्षक अपराध एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड यूपीआई के माध्यम से निकाले गये पीड़िता के 6,000/- रुपयों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए 6,000/- रुपये शतप्रतिशत वापस कराये गये ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदिका प्रीति पत्नी शिवकुमार, निवासी-अहेरीपुर चौबिया, जनपद इटावा द्वारा अपने साथ दिनांक 24.02.2024 को स्वयं के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा साइबर फ्रॉड यूपीआई के जरिये 6,000/- रुपये निकाल लेने के संबंध में साइबर थाना पर प्रार्थना पत्र दिया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन ,अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के कुशल मार्गदर्शन में थाना साइबर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए विभिन्न माध्यमों से साक्ष्य संकलन किये गये एवं बैंक अधिकारी पेमेन्ट गेटवे के नोडल अधिकारी इत्यादि से वार्ता कर आवेदिका के रुपये वापस करने का प्रयास किया गया। जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए दिनांक 16.04.2024 को पीड़िता के 6,000/- रुपये शत प्रतिशत वापस कराये गये हैं । साथ ही पुलिस टीम द्वारा पीड़िता को साइबर अपराधों से बचने के लिये जानकारी देकर जागरुक किया गया ।

अपने रुपये वापस पाकर पीड़िता द्वारा प्रसन्नता जाहिर करते हुए थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम व इटावा पुलिस की प्रशंसा की गई तथा थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम का विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

क्र०सं०	नाम वादिनी	वापस करायी गयी धनराशि
01	प्रीति पत्नी शिवकुमार	6,000/-

पुलिस टीम- प्र०नि० श्री तारिक खान, उ०नि० श्री चन्द्रभूषण दूबे, क०ऑ० अभय यादव, का० बृजेश गोला, का० सुन्दरम सिंह चौहान, का० उपेन्द्र चौहान, का० आदित्य देओल, का० सन्दीप सिंह, म०का० रश्मि पाल व म०का० मीनाक्षी तोमर ।